न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर
पीठासीन अधिकारी :– कीर्ति राठौड़, आर॰ए॰एस॰

प्रकरण संख्या 26 / 2024 (राजसमन्द आर्डर)

निर्भयसिंह पिता प्रतापदान सिंह, जाति राजपूत, निवासी डीडवाना, तहसील आमेट, जिला राजसमन्द (राज.)

..... अपीलान्ट

बनाम

1. सोहन पिता खुमा, जाति नाई, निवासी डीडवाना, तहसील आमेट, जिला राजसमन्द (मृतक) के बजाय :–

1/1. श्रीमती भंवरी बाई पत्नी सोहनलाल, जाति नाई, निवासी डीडवाना, तहसील आमेट, जिला राजसमन्द (मृतक)

1/2. मूलचन्द पिता सोहनलाल, जाति नाई, निवासी डीडवाना, तहसील आमेट, जिला राजसमन्द (राज.)

1/3. जगदीश पिता सोहनलाल, जाति नाई, निवासी डीडवाना, तहसील आमेट, जिला राजसमन्द (राज.)

1/4. नारायणलाल पिता सोहनलाल, जाति नाई, निवासी डीडवाना, तहसील आमेट, जिला राजसमन्द (राज.)

1/5. श्रीमती प्रेम बाई पत्नी नारायणलाल, जाति नाई, निवासी पानडी, तहसील देवगढ़, जिला राजसमन्द (राज.)

1/6. श्रीमती कमला बाई पत्नी उदयराम, जाति नाई, निवासी मासिंगपुरा, तहसील रायपुर, जिला भीलवाड़ा (राज.)

2. सवाईराम पिता केसा, जाति नाई, निवासी डीडवाना, तहसील आमेट, जिला राजसमन्द (राज.)

3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार आमेट, जिला राजसमन्द (राज.)

.....रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान
काश्तकारी अधिनियम–1955 विरूद्ध
निर्णय उपखण्ड अधिकारी, आमेट
दिनांक 25.06.2024, प्र.सं. 04/2022

———/———

उपस्थित :– 1– श्री लक्ष्मीलाल जैन अभिभाषक अपीलान्ट
2– श्री प्रकाशचन्द्र पालीवाल अभिभाषक रे.सं. 1/2 से 1/6

Signature Not Verified
Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.05.16 16:06:16 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय **दिनांक 08–04–2025**

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251–ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम डीडवाना, तहसील आमेट में प्रार्थी एवं विपक्षी संख्या 2 के संयुक्त खातेदारी की आराजी नंबर 786 से 769, 801, 807 से 811, 816, 837, 838 में प्रार्थी का 1/2 हिस्सा है, जिस पर प्रार्थी काबिज होकर उपयोग–उपभोग करता चला आ रहा है। प्रार्थी एवं विपक्षी संख्या 2 के आने जाने हेतु विपक्षी संख्या 1 की आराजी नंबर 781, 783, 798 से एक मात्र रास्ता है। प्रार्थी से विपक्षी संख्या 1 द्वेषता रखते हैं इसलिए अपनी जमीन से आने जाने नहीं दे रहे हैं। आराजी चाह नंबर 786 से प्रार्थी की आराजी नंबर 788, 801 व 809 सिंचित होती है, जिसमें भूमिगत पाईप लाई दी जाना आवश्यक है। अतः प्रार्थी की आराजी नंबर 786 से 769, 801, 807 से 811, 816, 837, 838 में आने जाने हेतु 15 फिट का रास्ता जिसे विपक्षी संख्या 1 ने अवरूद्ध कर दिया है, को खुलवाया जावे तथा भूमिगत पाईप लाईन बिछाने की अनुमति दी जावे।

अधीनस्थ न्यायालय ने अधिवक्ता दिनांक 25–06–2024 को निर्णय पारित करते हुए आराजी नंबर चाह नंबर 786 से आराजी नंबर 801 तक विपक्षी की खातेदारी की आराजी नंबर 781, 783, 798 में से तीन फिट गहराई में पाईप लाईन बिछाने का आदेश दिया, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट/विपक्षी संख्या 1 द्वारा यह अपील दिनांक 19–09–2024 को प्रस्तुत की गयी है।

अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोन्डेन्ट को जरिये सम्मन सूचना दिये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1/2 से 1/6 की ओर से अधिवक्ता श्री प्रकाशचन्द्र पालीवाल उपस्थित हुए, जबकि अपीलान्ट की ओर से अधिवक्ता श्री लक्ष्मीलाल जैन उपस्थित हुए। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलान्ट की कोई तामील नहीं करायी गयी तथा एकपक्षीय आदेश पारित किया गया, जिसकी जानकारी अपीलान्ट को दिनांक 15–[illegible]–20[illegible] को हुई। जानबूझकर कोई

Signature Not Verified
Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.05.16 16:06:16 IST
Reason: SelfAttested

विलम्ब नहीं किया गया है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अपील अन्दर मियाद शुमार की जावे। ताईद में शपथ पत्र प्रस्तुत किया।

हमने उक्त प्रार्थना पत्र पर उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। चूंकि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा एकपक्षीय आदेश पारित किया गया है तथा अपील प्रस्तुत करने में भी अल्प विलम्ब हुआ है। अतः प्रकरण में गुणावगुण पर निर्णय करने के दृष्टिगत न्यायहित में मयाद कण्डोन की जाकर अपील श्रवणार्थ ग्रहण की जाती है।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः वक्त बहस दोहराते हुए बताया कि अपीलान्ट की कभी भी तामील नहीं करायी गयी तथा उन्हें बिना सुने उनके खातेदारी भूमि में से पाईप लाईन बिछाने का आदेश पारित कर दिया गया, जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत है। अपीलान्ट की उक्त भूमि के संबंध में अन्य प्रकरण संख्या 40/2021 निर्भयसिंह बनाम कल्याणसिंह में माननीय अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 04–04–2024 को मौके व रेकार्ड की यथास्थिति बाबत आदेश पारित कर रखा है, उसके बावजूद तीन फिट गहराई में पाईप लाईन डालने का आदेश पारित कर दिया, जो विधि विरूद्ध होने से अपास्त योग्य है। अतः अपील स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 25–06–2024 निरस्त किया जावे।

उक्त बहस का जवाब देते हुए विद्वान अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट ने बताया कि अधीनस्थ न्यायालय मौके पर धोरा आराजी नंबर 781, 782, 783 में बना हुआ है। मात्र अपीलान्ट/विपक्षी के उपस्थित नहीं होने से अधीनस्थ न्यायालय के आदेश को अनुचित नहीं माना जा सकता। अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जावे।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। प्रकरण में यह सुस्पष्ट है कि उक्त आदेश अपीलान्ट/विपक्षी संख्या 1 की अनुपस्थिति में पारित किया गया है, जबकि अपीलान्ट विवादित आराजी नंबर 781, 783, 798 का रेकार्डेड खातेदार है। इस संबंध में अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट का कथन है की अपीलान्ट को मोबाईल पर सूचना दे दी गयी थी, इसके बावजूद वह अधीनस्थ न्यायालय में अनुपस्थित रहे। इस संबंध में वॉटसअप पर भेजे गये नोटिस का फोटो प्रति प्रस्तुत की है, किन्तु

Signature Not Verified
Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.05.16 16:06:16 IST
Reason: SelfAttested

इसे विधिवत सूचना नहीं माना जा सकता तथा इसके अतिरिक्त अपीलान्ट को सूचना दिये जाने की अन्य कोई साक्ष्य पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। प्रकरण में हम यह पाते हैं कि जिस भूमि से पाईप लाईन डालने का आदेश दिया गया है, उस भूमि का अपीलान्ट/विपक्षी संख्या 1 रेकार्डेड खातेदार है, जिसे बिना सुने उक्त आदेश पारित किया गया है, जबकि विधि अनुसार किसी खातेदारी की भूमि से पाईप लाईन डालने या रास्ता दिये जाने से पूर्व उसे सुना जाना आवश्यक है। तद्नुसार अधीनस्थ न्यायालय का उक्त आदेश न्याय के प्राकतिक सिद्धान्तों के विपरीत होने से अपास्त योग्य है।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 25–06–2024 अपास्त किया जाता है तथा पत्रावली अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि रेकार्डे खातेदार अपीलान्ट/विपक्षी संख्या 1 को विधिवत सुनवाई का अवसर देकर साक्ष्यों के आधार पर पुनः नये सिरे से निर्णय पारित करें। पक्षकारान अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 02–06–2025 को उपस्थित रहें। निर्णय आज दिनांक 08–04–2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावे।

(कीर्ति राठौड़)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.05.16 16:06:16 IST
Reason: SelfAttested